कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा।

(खनिज अनुभाग)

संख्या 4724 /एम0एम0सी0–30–खनिज/2020–21 दिनांक 30 /07/2020

विषयः– दिनांक 20.07.2020 को एम0एस0टी0सी0 ई–पोर्टल पर आई तकनीकी व्यवधान सम्बन्धित।

शुद्धि पत्र

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
एम0एस0टी0सी0 लि0,
भारत सरकार का उपक्रम,
लखनऊ

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने ई–मेल पत्र दिनांक 21.07.2020 समय 3:42 बजे, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 20.07.2020 को दोपहर 3:45 PM के आस पास एम0एस0टी0सी0 ई–पोर्टल पर कथित तकनीकी व्यवधान आ गयी थी जिसके कारण विज्ञप्ति पट्टा क्रमांक–08 (ई–नीलामी संख्या–5090) की ई–नीलामी प्रक्रिया बाधित हुई थी एवं इसे पूर्ण नही माना जा सकता। उपरोक्त ई–नीलामी को कम से कम 07 दिनो का पूर्व नोटिस/विज्ञापन देते हुए इसे फिर से 02 धण्टे के लिए यथावत उसी बिड से आयोजित किया जाये जहॉ से तकनीकी व्यवथान उत्पन्न हुई थी, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

जिसके क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या–4645/एम0एम0सी0–30–खनिज/2020–21 दिनांक 23.07.2020 द्वारा जनपद महोबा की तहसील सदर स्थित ग्राम उटियां के आराजी संख्या–1097/8 रकवा 0.809 हेक्टयर पर ईमारती पत्थर यथा खण्डा, बोल्डर, बैलास्ट (गिट्टी) के खनन क्षेत्र की द्वितीय चरण ई–नीलामी की प्रक्रिया के समय आयी तकनीकी व्यवधान के कारण पूर्ण प्रक्रिया सम्पादित न हो पाने के कारण द्वितीय चरण ई–नीलामी की प्रक्रिया पुनः दिनांक 07.08.2020 को समय अपरान्ह 02:00 बजे से अपरान्ह् 04:00 बजे तक कराये जाने हेतु नियत किया गया है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद महोबा की तहसील सदर स्थित ग्राम उटियां के आराजी संख्या–1097/9 के स्थान पर टंकण त्रुटिवश आराजी संख्या–1097/8 टंकित हो गया है।

अतः जनपद महोबा की तहसील सदर स्थित ग्राम उटियां के आराजी संख्या–1097/8 के स्थान पर **आराजी संख्या–1097/9 पढ़ा जाए।**

(शैलेन्द्र सिंह)
खान अधिकारी,
महोबा।

पत्रांक व तद्दिनांकः

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2– आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
3– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
4– जिलाधिकारी, महोबा।
5– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, महोबा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त शुद्धि पत्र को जनपद–महोबा के बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करे।
6– जिला सूचना अधिकारी, महोबा को दैनिक समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु।
7– समस्त उपजिलाधिकारी,जनपद–महोबा को अपने क्षेत्रान्तर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
8– नाजिर सदर,कलेक्ट्रेट–महोबा को कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

30/7/2020

(शैलेन्द्र सिंह)
खान अधिकारी,
महोबा।